जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, रामगढ़

–ःनिविदाः–

रामगढ़ जिला अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 100000 (एक लाख) प्रति जॉबकार्ड का मुद्रण एवं आपूर्ति करने हेतु अनुभवी, योग्य एवं प्रतिष्ठित संस्था से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक–23.08.2018 के पूर्वाह्न 11.30 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। जॉबकार्ड का नमूना कार्यालय अवधि के दौरान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विस्तृत विवरणी सूचना website-ramgarh.nic.in पर देखा जा सकता है।

<u>निविदा हेतु शर्तेः–</u>

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा (Technical Bid) के अन्तर्गत स्वभिप्रमाणित प्रमाण पत्र पृथक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगाः–
   - (i) तीन वर्ष का अद्यतन आयकर रिटर्न
   - (ii) वाणिज्यकर प्रमाण पत्र/GST पंजीयन संख्या
   - (iii) निविदादाता के नाम निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति
   - (iv) 25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, रामगढ़ के पदनाम से देय हो को संलग्न करना अनिर्वाय होगा।

     (निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा)
2. निविदादाता को वित्तीय निविदा (Financial Bid) के तहत पृथक मुहरबंद लिफाफा में निविदा देना होगा। तकनीकी निविदा पूर्ण रहने की स्थिति में ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
3. जॉबकार्ड मुद्रण हेतु प्रति की संख्या–100000/– (एक लाख)
4. चयनित निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात 15 दिनों के अंदर मुद्रित जॉबकार्ड की आपूर्ति कराना होगा, जिसके लिए कोई भी परिवहन/हथालन भत्ता देय नहीं होगा।
5. जॉबकार्ड प्रारूप/नमूना के अनुरूप मुद्रित करना होगा। कागज की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं होगा।
6. न्यूनतम दर पर एक से अधिक निविदादाता को आवश्यकतानुसार कार्यादेश दिया जा सकता है।
7. जॉबकार्ड मुद्रण का भुगतान मनरेगा प्रशासनिक मद से FTO के माध्यम से प्राप्त निदेशों के आलोक में होगा।
8. रामगढ़ जिले के स्थानीय पंजीकृत निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. सरकार के नियमों/अनुदेशों अथवा जनहित एवं प्रशासनिक हित में किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा

विश्वासभाजन

ह०/–

उप विकास आयुक्त,

–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,

रामगढ़।